



उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का निजीकरण: अवसर, चुनौतियाँ एवं प्रभाव (1986–2020)

संध्या यादव

शोध छात्रा, जे.एस. विश्वविद्यालय शिकोहाबाद

Email: sandhya28486@gmail.com

सार

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का निजीकरण वर्ष 1986 से 2020 के मध्य उच्च शिक्षा प्रणाली में हुए प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), आर्थिक उदारीकरण (1991), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) जैसी नीतियों ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित (Self-financed) महाविद्यालयों के विकास को गति प्रदान की। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निजीकरण की प्रवृत्तियों, उससे उत्पन्न अवसरों, चुनौतियों तथा समग्र प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) शोध-पद्धति पर आधारित है तथा इसमें द्वितीयक स्रोतों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), शिक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्टों, शोध-पत्रों एवं संबंधित पुस्तकों का उपयोग किया गया है। उपलब्ध आँकड़ों एवं नीतिगत दस्तावेजों का विश्लेषण कर निजीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि निजीकरण ने उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या, व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के विस्तार, अधोसंरचना के विकास तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि की है। इसके साथ ही उच्च शुल्क, शिक्षा का व्यावसायीकरण, गुणवत्ता में असमानता तथा सामाजिक समावेशन जैसी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के सतत एवं समावेशी विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ प्रभावी नियमन, गुणवत्ता आश्वासन तथा समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

कीवर्ड: निजीकरण, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, निजी विश्वविद्यालय, स्व-वित्तपोषित कॉलेज, RUSA, NEP-2020

परिचय

उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधार होती है। यह न केवल मानव संसाधनों का विकास करती है, बल्कि ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण, नवाचार, अनुसंधान तथा कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिनके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर, अनुसंधान तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल



दिया। इसके पश्चात वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (Liberalization, Privatization and Globalization—LPG) की नीतियों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की।

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण उच्च शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा सरकारी, सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का व्यापक नेटवर्क विकसित हुआ है। बढ़ती जनसंख्या, उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग तथा सरकारी संसाधनों की सीमाओं के कारण राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी निरंतर बढ़ी। परिणामस्वरूप अनेक स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिन्होंने व्यावसायिक, तकनीकी, प्रबंधन, शिक्षक शिक्षा तथा अन्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्ष 1986 से 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। एक ओर निजी संस्थानों ने अधोसंरचना, आधुनिक शिक्षण सुविधाओं, तकनीकी संसाधनों तथा विविध पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा की पहुँच का विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर उच्च शुल्क, शिक्षा के व्यावसायीकरण, गुणवत्ता में असमानता, योग्य शिक्षकों की कमी तथा सामाजिक समावेशन जैसी चुनौतियाँ भी सामने आईं। इस अवधि में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), गुणवत्ता आश्वासन के लिए NAAC की भूमिका तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी पहलों ने उच्च शिक्षा के विकास को नई दिशा प्रदान की।

इन्हीं परिवर्तनों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निजीकरण का समग्र विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वर्ष 1986 से 2020 के मध्य राज्य में निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विकास, निजीकरण से उत्पन्न अवसरों, चुनौतियों तथा उच्च शिक्षा प्रणाली पर उसके प्रभाव का वर्णनात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन न केवल उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास की प्रवृत्तियों को समझने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य की नीतियों के निर्माण एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समानता तथा समावेशिता को सुदृढ़ बनाने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

साहित्य समीक्षा

उच्च शिक्षा के निजीकरण, विस्तार, गुणवत्ता तथा नीतिगत सुधारों पर अनेक विद्वानों एवं संस्थाओं द्वारा अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भारत में उच्च शिक्षा के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका निरंतर बढ़ी है, किंतु इसके साथ गुणवत्ता, समानता एवं नियामकीय चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

Pawan Agarwal (2006) ने Higher Education in India: The Need for Change में भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा बढ़ती शैक्षिक मांग का विश्लेषण किया। उन्होंने उच्च शिक्षा में निजी निवेश को आवश्यक माना, किंतु यह भी स्पष्ट किया कि निजीकरण के साथ प्रभावी नियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण अनिवार्य है।

Philip G. Altbach (2009) ने भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण, गुणवत्ता, अनुसंधान तथा संस्थागत स्वायत्तता का विश्लेषण करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र ने उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु गुणवत्ता, समान अवसर तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ नीतिगत व्यवस्था आवश्यक है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की विभिन्न रिपोर्टों में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास, वित्तपोषण, गुणवत्ता सुधार, प्रत्यायन तथा नियामकीय व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इन रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ गुणवत्ता आश्वासन एवं संस्थागत उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया गया।



All India Survey on Higher Education (AISHE) की रिपोर्टें भारत एवं राज्यों में उच्च शिक्षा से संबंधित आँकड़ों का प्रमुख स्रोत हैं। इनमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्र नामांकन, शिक्षकों, अधोसंरचना, सकल नामांकन अनुपात (GER) तथा अन्य संकेतकों का वार्षिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इन आँकड़ों से उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका का अध्ययन संभव होता है।

यशपाल समिति (2009) ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, अनुसंधान, बहुविषयक शिक्षा तथा नियामकीय सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने विभिन्न नियामक संस्थाओं के स्थान पर एक समन्वित एवं प्रभावी ढाँचा विकसित करने तथा विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने की अनुशंसा की।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) से संबंधित दस्तावेजों में राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार, अधोसंरचना विकास, समान अवसर, सुशासन एवं संस्थागत क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। RUSA ने विशेष रूप से राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न वार्षिक रिपोर्टें एवं नीतिगत दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि राज्य में सरकारी, सहायता प्राप्त तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। साथ ही उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ाने, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं।

शोध-अंतर

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन भारतीय उच्च शिक्षा या राष्ट्रीय स्तर पर निजीकरण के

अध्ययन के उद्देश्य

- ☐ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- ☐ 1986–2020 के दौरान निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास का विश्लेषण करना।
- ☐ निजीकरण से उत्पन्न अवसरों का अध्ययन करना।
- ☐ निजीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- ☐ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुँच पर निजीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

उत्तर प्रदेश में निजीकरण का विकास (1986–2020)

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया एक क्रमिक एवं नीतिगत विकास का परिणाम है। वर्ष 1986 से 2020 के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, आर्थिक उदारीकरण, सरकारी योजनाओं तथा सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के कारण राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। इस अवधि को निम्नलिखित चार चरणों में समझा जा सकता है—

प्रथम चरण (1986–1991): सरकारी विश्वविद्यालयों का प्रभुत्व एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

वर्ष 1986 से 1991 तक उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मुख्यतः सरकारी विश्वविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों पर आधारित थी। इस अवधि में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education–1986)** लागू की, जिसका उद्देश्य शिक्षा तक व्यापक पहुँच, समान अवसर तथा गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना था। इस समय अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर थे तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित थी। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के संस्थानों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी, जिसके कारण उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करना कठिन हो रहा था।



द्वितीय चरण (1991–2000): आर्थिक उदारीकरण एवं निजी क्षेत्र का प्रवेश

वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होने के पश्चात शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला। सरकारी संसाधनों पर बढ़ते दबाव तथा उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण उत्तर प्रदेश में निजी प्रबंधन द्वारा संचालित महाविद्यालयों की स्थापना आरम्भ हुई। इसी अवधि में अनेक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने **स्ववित्तपोषित (Self-financed) पाठ्यक्रम** प्रारम्भ किए, विशेषकर प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, जैव-प्रौद्योगिकी तथा अन्य रोजगारोन्मुखी विषयों में। इससे उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसर बढ़े तथा निजी क्षेत्र की भूमिका धीरे-धीरे मजबूत होने लगी।

तृतीय चरण (2001–2010): निजी विश्वविद्यालयों एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार

वर्ष 2001 से 2010 के दौरान उत्तर प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र हुई। राज्य में **निजी विश्वविद्यालयों** की स्थापना के साथ-साथ स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग, बी.एड. तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ने के कारण अनेक निजी संस्थानों की स्थापना हुई। इस अवधि में तकनीकी एवं शिक्षक शिक्षा संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त हुए। हालांकि, इसी समय शिक्षा की गुणवत्ता, शुल्क संरचना तथा नियामकीय नियंत्रण से संबंधित प्रश्न भी उभरकर सामने आए।

चतुर्थ चरण (2011–2020): गुणवत्ता सुधार, डिजिटल परिवर्तन एवं नई शिक्षा नीति

वर्ष 2011 से 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली में मात्रात्मक विस्तार के साथ-साथ गुणवत्तापरक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2013 में राज्य **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)** से जुड़ा, जिसके माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, गुणवत्ता सुधार, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

इसी अवधि में **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** आधारित शिक्षण, स्मार्ट कक्षाओं, ई-लर्निंग, डिजिटल पुस्तकालयों तथा ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों का उपयोग बढ़ा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)** के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया गया। साथ ही, कौशल विकास (Skill Development), नवाचार तथा रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

वर्ष 2020 में लागू **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020)** ने बहुविषयक शिक्षा, संस्थागत स्वायत्तता, अकादमिक लचीलापन, अनुसंधान संवर्धन, डिजिटल शिक्षा तथा कौशल-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हुए उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। इस नीति ने निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्ता, समावेशन एवं उत्कृष्टता के नए मानदंड निर्धारित किए।

समग्र विश्लेषण

वर्ष 1986 से 2020 तक उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का निजीकरण क्रमिक रूप से विकसित हुआ। प्रारम्भ में जहाँ सरकारी संस्थानों का वर्चस्व था, वहीं आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र की भागीदारी निरंतर बढ़ी। निजी विश्वविद्यालयों, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों के विस्तार ने उच्च शिक्षा की उपलब्धता और विविधता को बढ़ाया। साथ ही, RUSA, ICT, NAAC तथा NEP-2020 जैसी पहलों ने गुणवत्ता सुधार एवं संस्थागत विकास को नई दिशा प्रदान की। दूसरी ओर, शिक्षा का व्यावसायीकरण, उच्च शुल्क, गुणवत्ता में असमानता तथा प्रभावी नियमन की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ भी इस अवधि में स्पष्ट रूप से सामने आईं।

निजीकरण के अवसर

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986 से 2020 के मध्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण ने अनेक नए अवसरों का सृजन किया। बढ़ती जनसंख्या, उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग तथा सरकारी संसाधनों की सीमाओं के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक होती गई। निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित



महाविद्यालयों की स्थापना ने न केवल उच्च शिक्षा के विस्तार में योगदान दिया, बल्कि गुणवत्ता, नवाचार, तकनीकी विकास एवं कौशल-आधारित शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। निजीकरण से उत्पन्न प्रमुख अवसर निम्नलिखित हैं—

1. संस्थानों की संख्या में वृद्धि

निजीकरण के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहाँ पहले उच्च शिक्षा मुख्यतः सरकारी संस्थानों तक सीमित थी, वहीं निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की स्थापना से विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के अधिक अवसर उपलब्ध हुए। इससे उच्च शिक्षा की पहुँच ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक भी विस्तारित हुई।

2. रोजगारपरक शिक्षा (Employment-oriented Education)

निजी संस्थानों ने पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी एवं कौशल-आधारित कार्यक्रम प्रारम्भ किए। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना था। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता (Employability) में वृद्धि हुई तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

3. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (Professional Courses) का विस्तार

निजीकरण ने इंजीनियरिंग, प्रबंधन, बी.एड., फार्मेसी, नर्सिंग, कंप्यूटर विज्ञान, होटल प्रबंधन, विधि (Law) तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पाठ्यक्रमों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं करियर के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के अधिक विकल्प मिले तथा उच्च शिक्षा का स्वरूप अधिक व्यावहारिक एवं व्यवसायोन्मुखी बना।

4. अधोसंरचना का विकास (Infrastructure Development)

निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने आधुनिक भवनों, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, शोध प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं तथा छात्रावास जैसी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया। इन संसाधनों ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया तथा विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया।

5. उद्योग-शिक्षा सहयोग (Industry Collaboration)

निजी संस्थानों ने उद्योगों एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग स्थापित कर इंटरशिप, औद्योगिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ व्याख्यान, परियोजना कार्य तथा कैंपस प्लेसमेंट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ तथा शिक्षा और रोजगार के मध्य समन्वय स्थापित हुआ।

6. अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन (Research Promotion)

निजी विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजनाएँ, अनुसंधान केंद्र, इनक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप सेल तथा बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इससे शोध संस्कृति के विकास तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

7. डिजिटल शिक्षण (Digital Learning)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के व्यापक उपयोग से निजी संस्थानों ने ई-लर्निंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS), ऑनलाइन कक्षाएँ, वर्चुअल लैब, डिजिटल पुस्तकालय तथा स्मार्ट शिक्षण पद्धतियों को अपनाया। विशेष रूप से 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षण ने शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



8. अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Collaboration)

अनेक निजी विश्वविद्यालयों ने विदेशी विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग, छात्र एवं शिक्षक विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त शोध परियोजनाएँ तथा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन प्रारम्भ किया। इससे विद्यार्थियों को वैश्विक शैक्षिक परिवेश से जुड़ने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्राप्त हुए।

9. प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता में सुधार (Competition)

निजी क्षेत्र के प्रवेश से उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हुई। इस प्रतिस्पर्धा के कारण संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक अधोसंरचना, कुशल संकाय, शोध गतिविधियों तथा छात्र सेवाओं में सुधार करने का प्रयास किया। इससे समग्र रूप से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला।

10. कौशल विकास (Skill Development)

निजी संस्थानों ने संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, नेतृत्व, समस्या-समाधान, नवाचार तथा अन्य रोजगारपरक कौशलों के विकास पर विशेष बल दिया। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया। इससे 'स्किल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी राष्ट्रीय पहलों के उद्देश्यों को भी बल मिला।

9. निजीकरण की चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986 से 2020 के मध्य उच्च शिक्षा के निजीकरण ने जहाँ संस्थागत विस्तार, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन दिया, वहीं इसके साथ अनेक गंभीर चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आईं। निजी संस्थानों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण गुणवत्ता, समानता, वहनीयता (Affordability) तथा नियमन से संबंधित अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण ज्ञान, अनुसंधान, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मानव संसाधन का विकास करना है। इसलिए निजीकरण की चुनौतियों का सम्यक् विश्लेषण आवश्यक है।

1. शिक्षा का व्यावसायीकरण (Commercialization of Education)

निजीकरण के साथ उच्च शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ा। अनेक निजी संस्थानों ने शिक्षा को सामाजिक दायित्व के बजाय आर्थिक लाभ के साधन के रूप में देखा। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के समग्र विकास, अनुसंधान एवं सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा आय-सृजन एवं प्रवेश संख्या पर अधिक बल दिया जाने लगा। इससे शिक्षा के मूल उद्देश्य एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हुई।

2. अत्यधिक शुल्क (High Fee Structure)

निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सामान्यतः शुल्क सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक होता है। उच्च शुल्क के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनेक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण निजी संस्थानों में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता की सीमित उपलब्धता भी इस समस्या को और गंभीर बनाती है।

3. ग्रामीण एवं वंचित छात्रों की सीमित पहुँच

यद्यपि निजी संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई, फिर भी अधिकांश प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शहरी क्षेत्रों में केंद्रित रहे। ग्रामीण, दूरस्थ एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन संस्थानों तक पहुँच आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक कारणों से कठिन बनी रही। इससे उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानता की समस्या बनी रही।



4. गुणवत्ता में असमानता (Variation in Quality)

सभी निजी संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता समान नहीं रही। कुछ संस्थानों ने उत्कृष्ट अधोसंरचना, योग्य संकाय एवं आधुनिक शिक्षण व्यवस्था विकसित की, जबकि अनेक संस्थान न्यूनतम मानकों को पूरा करने में भी कठिनाई का सामना करते रहे। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक असमानता दिखाई देती है।

5. योग्य शिक्षकों की कमी

उच्च शिक्षा के तीव्र विस्तार के अनुरूप योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। अनेक निजी संस्थानों में कम वेतन, सीमित सेवा-सुरक्षा तथा अनुबंध आधारित नियुक्तियों के कारण अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा। इसका प्रभाव शिक्षण की गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों के अधिगम पर पड़ा।

6. अनुसंधान की उपेक्षा (Neglect of Research)

कई निजी संस्थानों में शिक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई, जबकि अनुसंधान एवं नवाचार अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त कर सके। शोध परियोजनाओं, प्रयोगशालाओं, शोध अनुदान तथा प्रकाश

7. अस्थायी एवं अनुबंध आधारित शिक्षकों की नियुक्ति

व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से अनेक निजी संस्थानों में स्थायी शिक्षकों के स्थान पर अतिथि, संविदा अथवा अनुबंध आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। ऐसी नियुक्तियों में सेवा-सुरक्षा, पदोन्नति एवं व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित होने के कारण शिक्षकों का मनोबल एवं दीर्घकालिक शैक्षणिक योगदान प्रभावित हुआ। इससे संस्थानों में शैक्षणिक स्थिरता भी प्रभावित होती है।

8. सामाजिक असमानता (Social Inequality)

उच्च शुल्क एवं सीमित आर्थिक सहायता के कारण निजी उच्च शिक्षा का लाभ मुख्यतः आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित रहने की संभावना बढ़ी। इससे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण रहा। शिक्षा में समान अवसर का संवैधानिक उद्देश्य इस स्थिति से प्रभावित हो सकता है।

9. नियामक चुनौतियाँ (Regulatory Challenges)

निजी संस्थानों की तीव्र वृद्धि के साथ उनके प्रभावी नियमन की आवश्यकता भी बढ़ी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सभी संस्थानों में समान रूप से सुनिश्चित करना एक चुनौती रहा। पारदर्शिता, जवाबदेही, गुणवत्ता नियंत्रण तथा वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ नियामकीय व्यवस्था की आवश्यकता निरंतर बनी रही।

10. रोजगार की गुणवत्ता (Quality of Employment)

यद्यपि निजी संस्थानों ने रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का विस्तार किया, फिर भी सभी स्नातकों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। कई पाठ्यक्रम उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से पूर्णतः समन्वित नहीं थे, जिसके कारण रोजगार क्षमता एवं उपलब्ध रोजगार के बीच अंतर बना रहा। कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा उद्योग-शिक्षा समन्वय को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की गई।

10. उत्तर प्रदेश पर निजीकरण का प्रभाव (1986–2020)

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986 से 2020 के मध्य उच्च शिक्षा के निजीकरण ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। इस अवधि में निजी विश्वविद्यालयों, स्वचिंतपोषित महाविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उच्च शिक्षा के विस्तार और



विविधीकरण को गति मिली। निजीकरण ने जहाँ अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए, वहीं कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न कीं। इन प्रभावों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

सकारात्मक प्रभाव

1. संस्थानों की संख्या में वृद्धि

निजीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तीव्र वृद्धि के रूप में देखा गया। सरकारी संसाधनों की सीमाओं के बावजूद निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा की उपलब्धता बढ़ी। विशेष रूप से बी.एड., इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में नए संस्थानों की स्थापना ने विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के अवसरों का विस्तार किया।

2. सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार

निजी संस्थानों की बढ़ती संख्या के कारण उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) में सुधार देखने को मिला। विशेषकर शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ी और अनेक विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम हुई।

3. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन

निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना से छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महिला महाविद्यालयों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण की उपलब्धता के कारण महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी। इससे महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को भी बल मिला।

4. व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विस्तार

निजीकरण के परिणामस्वरूप पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि तथा शिक्षक शिक्षा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का तीव्र विस्तार हुआ। इससे विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने तथा बदलते रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर मिला।

5. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का विकास

निजी संस्थानों ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में ICT का व्यापक उपयोग किया। स्मार्ट कक्षाएँ, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन मूल्यांकन तथा वर्चुअल शिक्षण जैसी व्यवस्थाओं ने उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक एवं तकनीक-आधारित बनाया। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की उपयोगिता स्पष्ट रूप से सामने आई।

6. नवाचार (Innovation) को प्रोत्साहन

निजी विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान, नवाचार, परियोजना-आधारित अधिगम, स्टार्टअप सेल, इनक्यूबेशन सेंटर तथा उद्योग-सहयोग आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में नवाचारी सोच विकसित करने का प्रयास किया। इससे शोध एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

7. उद्यमिता (Entrepreneurship) का विकास

निजी उच्च शिक्षा संस्थानों ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप सहायता, व्यवसाय योजना प्रतियोगिताएँ तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए प्रेरित किया। इससे युवा वर्ग में आत्मनिर्भरता एवं नवाचार आधारित व्यवसाय की भावना विकसित हुई।



नकारात्मक प्रभाव

1. शिक्षा महँगी हुई

निजी विश्वविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उच्च शुल्क के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनेक विद्यार्थियों की पहुँच से बाहर हो गई। इससे उच्च शिक्षा की समान उपलब्धता प्रभावित हुई।

2. शिक्षा का व्यावसायीकरण

निजीकरण के साथ अनेक संस्थानों में शिक्षा को सेवा के बजाय व्यवसाय के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। कुछ संस्थानों में लाभ अर्जन की प्राथमिकता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान एवं सामाजिक उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त कर सके।

3. गुणवत्ता में असमानता

सभी निजी संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता समान नहीं रही। कुछ संस्थानों ने उत्कृष्ट अधोसंरचना एवं शिक्षण व्यवस्था विकसित की, जबकि अनेक संस्थानों में योग्य संकाय, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एवं अनुसंधान सुविधाओं का अभाव देखा गया। इससे विद्यार्थियों को प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर उत्पन्न हुआ।

4. योग्य शिक्षकों की कमी

निजी संस्थानों के तीव्र विस्तार के बावजूद पर्याप्त संख्या में योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। अनेक संस्थानों में संविदा अथवा अतिथि शिक्षकों पर अधिक निर्भरता देखी गई, जिससे शिक्षण एवं शोध की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

5. असमान पहुँच

यद्यपि निजीकरण से उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी, फिर भी उच्च शुल्क, शहरी क्षेत्रों में संस्थानों का अधिक केंद्रीकरण तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित नहीं हो सकी। इससे शिक्षा में क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता बनी रही।

सुझाव

1. निजी संस्थानों की नियमित गुणवत्ता समीक्षा हो।
2. शुल्क नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए।
3. शोध एवं नवाचार को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया जाए।
4. ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए।
5. NAAC प्रत्यायन को बढ़ावा दिया जाए।
6. उद्योग-शिक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया जाए।
7. डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाए।
8. योग्य एवं स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में यह स्पष्ट करें कि 1986-2020 के दौरान उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निजीकरण ने संस्थागत विस्तार, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी विकास और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर, शिक्षा के व्यावसायीकरण, बढ़ती फीस, गुणवत्ता में असमानता और सामाजिक



समावेशन जैसी चुनौतियाँ भी सामने आईं। भविष्य में सार्वजनिक उत्तरदायित्व, गुणवत्ता आश्वासन और समान अवसरों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को संतुलित करना राज्य की उच्च शिक्षा के सतत विकास के लिए आवश्यक होगा।

संदर्भ

1. Government of India. National Policy on Education (1986).
2. Government of India. Programme of Action (1992).
3. Government of India. National Education Policy (2020).
4. Agarwal, P. (2006). Higher Education in India.
5. Altbach, P. G. (2009). Indian Higher Education.
6. University Grants Commission (UGC). Annual Reports.
7. Ministry of Education. All India Survey on Higher Education (AISHE) Reports.
8. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA). State and National Reports.

Cite this Article:

यादव, संध्या ,“ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का निजीकरण: अवसर, चुनौतियाँ एवं प्रभाव (1986–2020)” The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.294–303, Volume-04, Issue-04, January-2026, <https://theresearchdialogue.com/>



This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

THE
RESEARCH
DIALOGUE

Manifestation Of Perfection



CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

संध्या यादव

For publication of Research Paper title

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का निजीकरण: अवसर, चुनौतियाँ एवं प्रभाव
(1986–2020)

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact
Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief



Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at: <https://theresearchdialogue.com/>